राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– F.9( )STA/HQ/Resolution/2020/00691/8458 जयपुर, दिनांकः 30.06.2025

राज्य के अधिसूचित मार्गों पर निजी स्टेज कैरिज वाहनों हेतु अनिवार्य/आवश्यक शर्तें।

राज्य के अधिसूचित मार्गों पर निजी स्टेज कैरिज वाहनों हेतु राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(201)/परि/टैक्स/मु./2004/9315–28 दिनांक 29.05.2015 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये समय–समय पर जारी किये गये प्रस्ताव एवं मार्गदर्शक बिंदुओं को संशोधित करते हुयें निम्नानुसार अनिवार्य/आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती हैं –

1. वाहन का आवेदक के नाम पंजीयन/क्रय होना आवश्यक है।
2. वाहन का राजस्थान राज्य में पंजीयन होना/कराया जाना आवश्यक है।
3. अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. वाहन किसी अन्य अनुज्ञापत्र से कवर्ड नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय वाहन का स्पेयर होना आवश्यक है।
5. आवेदक के किसी भी वाहन पर विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की फीस/राजस्व/चालान राशि/ऑडिट/टैक्स इत्यादि का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
6. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके विरूद्ध ऐसी धाराओं में कोई मुकदमा/अभियोग/एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान है।
7. अनुज्ञापत्र की स्वीकृति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में आवेदक के द्वारा अनुज्ञापत्र जारी कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृति को स्वतः निरस्त मानते हुए (Deemed to be cancelled) संबंधित मार्ग पर उक्त रिक्ति के विरूद्ध नए आवेदन आमंत्रित कर लिए जावेंगे।
8. अनुज्ञापत्रों पर संचालित बसों को अस्थाई परमिटों की अधिकतम संख्या 2 प्रति माह तथा अधिकतम 5 दिवस प्रतिमाह होंगे।
9. आवेदक के किसी भी मंजिली वाहन के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अंतर्गत अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया गया हो।
10. एक वाहन पर अधिकतम 3 आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे किंतु आवेदक के द्वारा आवेदन में मार्गों की प्राथमिकता का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन में प्राथमिकता का अंकन नहीं होने पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
11. एक वाहन पर एक अथवा एक से अधिक अधिसूचित या गैर अधिसूचित मार्गों के लिये (नगरीय, उपनगरीय तथा अंतर्राज्यीय मार्ग को छोडकर) अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जा सकेगा किंतु प्रत्येक मार्ग के लिये पृथक–पृथक नियमानुसार शुल्क देय होगा।
12. स्लीपर कोच को अनुज्ञापत्र केवल रात्रिकालीन सेवा 6.00 P.M. से 8.00 A.M. के मध्य यात्रा हेतु ही दिया जाएगा। इसी प्रकार स्लीपर कोच के अतिरिक्त अन्य मंजिली वाहनों को रात्रि में 10.00 P.M. से 4.00 A.M. के मध्य यात्रा हेतु अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाएंगे।

13. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम किराये से अधिक किराये की वसूली पर नियंत्रण करने के प्रयोजनार्थ इन बसों में यात्रियों को टिकट जारी किया जाना आवश्यक होगा जो कि प्रिन्टेड, ऑनलाइन अथवा ई–टिकट मशीन द्वारा जारी होंगे।

14. महिलाओं की सुविधा हेतु प्रत्येक बस में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेंगी तथा महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत बस की खिड़कियों के कांच पर रंगीन फिल्म व पर्दे लगाना निषेध होगा। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या अप्रिय घटना होने पर चालक/परिचालक तुरन्त पुलिस को सूचना देंगे।

15. बस के बाहर एवं अन्दर निर्धारित स्थान पर जन साधारण की सूचनार्थ वाहन स्वामी, चालक व परिचालक के नाम पते व मोबाइल नम्बर लिखे जायेंगे। इसी के साथ किसी समस्या या शिकायत हेतु संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के दूरभाष नंबर एवं ई.मेल अंकित किये जायेंगे।

16. चालक व परिचालक ड्यूटी पर सदैव राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 2.23 (1)(b)(viii) के अनुसार निर्धारित वर्दी में रहेंगे।

17. चालक/परिचालक निशक्तजनों की बस में चढ़ने व उतरने में हर संभव सहायता करेंगे। यदि चालक/परिचालक निशक्त व्यक्ति की सहायता करने से इंकार करते हैं तो वे उनके विरुद्ध निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे।

18. समस्त वाहनों को संचालन के पश्चात् ड्राइवर या अन्य स्टाफ के पास पार्क न किया जाकर वाहन स्वामियों के अधीन पार्क किया जायेगा। पार्किंग करते समय वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्किंग से यातायात में व्यवधान एवं जनअसुविधा नहीं हो।

19. इन वाहनों पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं तत्सम्मत् नियमों के अंतर्गत प्रचलित/लागू दर के अनुसार कर आरोपित होगा।

20. इन वाहनों का संचालन प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा यथानिर्दिष्ट स्थलों से संचालन किया जाएगा।

21. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 71, 72, 80(3) एवं 81 के अन्तर्गत एक या एक से अधिक अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित मार्गों हेतु जारी परमिट पर संचालित यात्री वाहन पर सभी शर्तें अधिसूचित मार्गो पर संचालित वाहनों के समान ही लागू होगी।

22. मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में मंजिली वाहनों हेतु परमिट के संदर्भ में यथा विनिर्दिष्ट समस्त शर्तों की पालना आवश्यक होगी।

23. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा निर्देशों के अनुसरण में वाहन में निर्धारित मानक AIS:140 का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (वी.एल.टी.डी.) एवं आपातकालीन बटन (पैनिक बटन) लगाना अनिवार्य होगा।

24. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा निर्देशों के अनुसरण में बस बॉडी निर्माण के लिए निर्धारित मानकों की पालना अनिवार्य होगी।

25. वाहन की विशिष्टताएं एवं रंग संयोजन प्रस्ताव संख्या 1/2016/615 दिनांक 13.01.2016 के अनुसार रहेंगी।

26. इन वाहनों हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं विशिष्टताओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा सत्यापित की जायेगी।

27. राज्य परिवहन प्राधिकार या राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत सचिव/अपर सचिव द्वारा किये गये निर्णय सर्वगान्य होंगे। उक्त निर्णयों के विरूद्ध अपील राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर में की जा सकेगी।

28. सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अनुज्ञापत्र हेतु प्राप्त आवेदन का परिचलन प्रेषित करते समय निम्न की पालना सुनिश्चित करेंगे –

i. वाहन आवेदक के नाम पंजीकृत/क्रय हो।

ii. आवेदित वाहन किसी अन्य अनुज्ञापत्र से कवर्ड न हो।

iii. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाए।

iv. वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

29. उपरोक्त के अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

सदस्य,
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– F.9( )STA/HQ/Resolution/2020/00691/8459 – 64 जयपुर, दिनांकः 30.06.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)।
4. श्री कुलदीप सिंह, अति. निदेशक, आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट हेतु।
5. समस्त सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

सदस्य,
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर